डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

1. गिर्राज पुत्र शिवचरण
2. श्री पुत्र शिवचरण
3. कला पत्नि लालहंस
4. हुकम पुत्र शिवचरण
5. भयराम पुत्र शिवचरण

समस्त जाति गूर्जर निवासीयान नयागाव तहसील टोडाभीम जिला करौली।
(वादी)

बनाम

1. हुकम पुत्र हरवीर
2. हंसराम पुत्र हरवीर
3. सुवेन्दर पुत्र हुकम
4. धर्मेन्द्र पुत्र हुकम
5. जितेन्द्र पुत्र हसंराम

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान नयागाव तहसील टोडाभीम जिला करौली।
(प्रतिवादी)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 122/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निज......................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15.10.2020 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
दस्तखत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
ओहदा...... जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

0न0:– 122/2016 तारीख रजू:– 25.10.2016

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. गिर्राज पुत्र शिवचरण
2. श्री पुत्र शिवचरण
3. कला पत्नि लालहंस
4. हुकम पुत्र शिवचरण
5. भयराम पुत्र शिवचरण

समस्त जाति गूर्जर निवासीयान नयागाव तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

1. हुकम पुत्र हरवीर
2. हंसराम पुत्र हरवीर
3. सुवेन्दर पुत्र हुकम
4. धर्मेन्द्र पुत्र हुकम
5. जितेन्द्र पुत्र हसंराम

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान नयागाव तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी)

निर्णय दिनांक:– 15.10.2020

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नयागाव स्थित आराजी ख0न0 1131/0.16, 1132/0.38 कुल किता 2 कुल रकवा 0.54 है0 वादीगण की खातेदारी कब्जे की भूमि है जिसमे वादीगण का 1/2 हिस्सा है। चुकि मृतक लालहंस के पुत्र महेन्द्र, नरेश फौज मे देश रक्षा हेतु सीमा पर तैनात है इसलिये उनकी माता की और से दावा पेश किया है तथा दावा पेश करने की मोबाईल पर इजाजत दी है उक्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का संबध नही है।

प्रतिवादीगण लठैत व्यक्ति है तथा वे वादीगण की आराजी मे जबरदस्ती कब्जा कर बौरिंग निर्माण करना चाहते है। प्रतिवादीगण दिनांक 11.10.2016 को प्रातः 10 बजे वादीगण की उक्त आराजी पर कब्जा करने व बोरिंग का निर्माण करने की नियत से आये और जबरदस्ती करने लगे। वादीगण व अन्य व्यक्तियो ने काफी समझाया लेकिन नही माने और बोरिंग निर्माण व कब्जा करने की धमकी दी इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा दर्ज वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1131/0.16, 1132/0.38 है0 स्थित ग्राम नयागाव मे वादीगण के हिस्सा 1/2 मे रूकावट पैदा नही करे तथा किसी प्रकार की बौरिंग आदि का निर्माण नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 4 व 5 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1,2,3 की जरिये वकालतन पेश होकर जबाव पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम नयागाव मे होना स्वीकार है। बकिया उज्रात गलत ळै सायलान प्रार्थना पत्र लाने के मुस्तहक नही है और नाही मोबाईल से परमीशन ली जा सकती है। बॉका दिनांक 11.10.2016 का एकदम गलत व मनगढंत है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

जिला-करौली

ायलान आराजी ख0न0 1140 के रिकार्डेड खातेदार काश्त है तथा ख0न0 1140 मे सभी प्रकार ार्य करने के लिये स्वतंत्र है। वादीगण चाही गई रिलीफ प्राप्त करने के हकदार नही है। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा ख0न0 1140 को कय किया है वे उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण से रंजिश रखते है तथा ावश उक्त दावा वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया है। जो चलने योग्य नही है ये दावा खारिज होने योग्य है।

त्र के समर्थन मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः–

. आया आराजी ख0न0 1131/0.16, 1132/0.38 ग्राम नयागाव की खातेदारी एवं कब्जा काश्त वादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है। चूकि मृतक खातेदार लालहसं के पुत्र महेन्द्र, नरेश फौज मे है इसलिये उनकी माता की तरफ से यह दावा पेश किया जा रहा है। प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई संबध किसी प्रकार से नही है। प्रतिवादी जबरदस्ती कब्जा कर बोरिंग का निर्माण करना चाहते है। प्रतिवादीगण को स्थीाय निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हक है।

(जिम्मेवादीगण)

. आया गैरसायलान ख0न0 1140 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इस ख0न0 की भूमि मे सभी कार्य करने के लिये स्वतंत्र है। इस प्रार्थना पत्र की आड मे कार्य करने से रोकना चाहते है। वादीगण प्रतिवादीगण से रंजिश रखते है। इस कारण से यह दावा पेश किया है। दावा खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

वादी एवं प्रतिवादीगण की और से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है।

वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को ही अपनी बहस मे दोहराते हुये दावा डिकी का कथन किया। वकील प्रतिवादी ने जबाब दावे मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस मे दोहराते थन किया कि वादी ने विवादित आराजीयात ख0न0 1140 खरीद कर लिया है खरीद दिन से काश्त है। इसलिये दावा वादी चलने योग्य नही है। वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का अवलोकन गया। पत्रावली मे शामिल नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के ख0न0 1131/0.16, 0.38 मे वादीगण हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। वादपत्र के समर्थन मे किसी प्रकार न एव पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये ो एवं प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये जाने के कारण तनकीवार निर्णय करने ाश्यकता प्रतीत नही होती है। साक्ष्य सबूत के अभाव मे दावा वादी बावत स्थायी निषेधाज्ञा किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

15/10/20

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली